

## संचालनालय लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462021

दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651

ई-मेल [dpimp@sancharnet.in](mailto:dpimp@sancharnet.in)

कमांक: अनुदान/ज/28/09/

भोपाल, दिनांक

आ दे श


न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. क. 2911/01 शासकीय जनता उ.मा.वि. मझगाँव जिला सीवा को शासनाधीन की गई संस्था से संबंधित है। यह विद्यालय मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क. एफ 37-19/96/20-5 दिनांक 2.11.2000 द्वारा शासनाधीन किया जाकर निम्नानुसार पद स्वीकृत किये गये :-

स.क.	स्वीकृत पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	प्राचार्य	01	8000-13500
2	व्याख्याता (शिक्षा कर्मी वर्ग-1)	08 (4 कला 4 विज्ञान)	1200-2000
3	शिक्षक/काफ्ट शिक्षक (शिक्षा कर्मी वर्ग-2)	07	1000-1600
4	पी. टी. आई.	01	1000-1600
5	लेखापाल (गणक)	01	जिलाध्यक्ष दर पर
6	ग्रंथपाल	01	जिलाध्यक्ष दर पर
7	यू.डी.सी.	01	जिलाध्यक्ष दर पर
8	एल.डी.सी.	01	400/- अंशकालीन
9	सहायक शिक्षक विज्ञान (शिक्षा कर्मी वर्ग-3)	02	800-1200
	कुल पद	23	श्री कृष्ण कुमार सिंह, श्री राम

इस विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों-श्री रामलाल सिंह, द्वारा याचिका क0 2911/01 दायर कर यह माँग की गई कि उन्हें भृत्य, के पद पर संविलियन किया जाय। मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/1/2009 में याचिकाकर्ता के संविलियन के संबंध में कार्यवाई कर समुचित आदेश पारित करने एवं इनके वेतन आदिका निराकरण करने के निर्देश है। इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस विद्यालय से संबंधित अन्य याचिका क. 8371/05 में प्रदत्त निर्देश के क्रम में पुनः स्कीनिंग समिति का गठन दि. 4.3.08 द्वारा किया गया। स्कीनिंग समिति द्वारा विद्यालय के कर्मचारियों का संविलियन करने हेतु संपूर्ण अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरांत वरिष्ठता, शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण के आधार पर प्रतिवेदन दिनांक 16.4.2008 को प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदन के अनुसार शासनादेश दिनांक 2.11.2000 में स्वीकृत पदों पर पात्र कर्मचारियों के संविलियन की अनुशंसा की गई।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 2.11.2000 में याचिकाकर्ता से संबंधित भृत्य का पद स्वीकृत न होने के कारण स्कीनिंग समिति द्वारा इनके संविलियन की अनुशंसा नहीं की गई। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.1.09 के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता का वांछित पद पर संविलियन किया जाना संभव नहीं है।

चूंकि शासनादेश में याचिकाकर्ता को पद स्वीकृत नहीं है अतएव इनके वेतन आदि का निराकरण किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है।

  
आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्यप्रदेश


//2//

पृ.क्र. अनुदान/ज/28/09/416

भोपाल, दिनांक 15-6-10

प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
- 2/ आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एकल नस्ती क्रमांक पी.ए./रा.शि.के./1137/09 दिनांक 16.11.09 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 3/ कलेक्टर रीवा
- 4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा
- 5/ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा
- 6/ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ जबलपुर
- 7/ संयुक्त संचालक विधि कक्ष स्थानीय
- 8/ जिला शिक्षा अधिकारी रीवा की ओर भेजकर लिखा जाता है कि उपरोक्त आदेशानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवमानना प्रकरण क्रमांक 1035/09 श्री राम लाल सिंह विरुद्ध म0प्र0 शासन का निराकरण करावें ।
- 9/ प्राचार्य, शासकीय उ0मा0वि0 मझगवों जिला रीवा
- 10/ संबंधित श्री रामलाल सिंह शासकीय उ.मा.वि. मझगवों जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं उ वश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
 आयुक्त लोक शिक्षण  
 मध्यप्रदेश